

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2014/अग्रहायण 6, 1936
No. 281]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2014/AGRAHAYANA 6, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2014

सं. 76 (आर.ई.-2013)/2009-2014

विषय : प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-I (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र), 2009-14 के आयात निर्यात प्रपत्र 2क में संशोधन।

फा. सं. 01/93/180/20/एम13/पीसी-2 (ख).—विदेश व्यापार नीति (2009-14), के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-I (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र), 2009-14 के आयात निर्यात प्रपत्र 2क [आयातक निर्यातक कोड संख्या (आईईसी) के निर्गम/संशोधन के लिए आवेदन पत्र] में संशोधन करते हैं और आगे अधिसूचित करते हैं कि:

- (i) आयात निर्यात प्रपत्र 2क के मौजूदा प्रपत्र को यथा संलग्न दूसरे प्रपत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। मौजूदा प्रपत्र वास्तविक फार्मेट में और आनलाइन फार्मेट में विद्यमान है। दिनांक 01.01.2015 से नए आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) के लिए आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल आनलाइन तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ii) सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के पश्चात, डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा आईईसी प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा और 2 कार्य दिवसों के भीतर सूचित कर दिया जाएगा।
- (iii) आईईसी हेतु ऑनलाइन आवेदन फाइल करने की सुविधा डीजीएफटी की प्रणाली के साथ समाकलन के पश्चात डीआईपीपी के ई-बिज पोर्टल के जरिए भी उपलब्ध कराई जाएगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

मौजूदा प्रपत्र एनएफ 2क के स्थान पर अन्य प्रपत्र लाया जा रहा है, जिसे दिनांक 01.01.2015 से अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन फाइल किया जाना अनिवार्य होगा तथा आईईसी प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने संबंधी निर्णय की सूचना संबंधित क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा दो कार्य दिवसों के भीतर दे दी जाएगी। आईईसी हेतु ऑनलाइन आवेदन फाइल करने की सुविधा डीजीएफटी की प्रणाली के साथ समाकलन के पश्चात डीआईपीपी के ई-बिज पोर्टल के जरिए भी उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

एएनएफ-2एआयातक निर्यातक कोड संख्या (आईईसी) जारी/परिवर्तन करने हेतु आवेदन प्रपत्रभाग-ए

- फार्म को भरने से पूर्व कृपया दिशा-निर्देश को पूरा पढ़ लें। दिशा-निर्देश पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- अपलोड किए जाने वाले संबंधित दस्तावेजों की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट-जीआईएफ, जेपीईजी, जिसका आकार 5 एमबी से अधिक न हो, में अपलोड किया जाए।
- अपलोड करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित दस्तावेज स्पष्ट है।

आवेदक का डिजिटल फोटो
(3x3 से.मी.)

आवेदक का ब्यौरा																	
i. नाम, जिस नाम से आईईसी जारी किया जाना है:-																	
ii. पता, (कम्पनियों के मामले में पंजीकृत कार्यालय का पता/अन्य के लिए मुख्य कार्यालय का पता आवश्यक है)				फ्लैट/प्लॉट/ब्लॉक सं.													
				गली/क्षेत्र/इलाका													
				राज्य				जिला									
				शहर		पिन सं.											
iii. दूरभाष सं., यदि कोई है (एरिया कोड सहित) ।																	
iv. मोबाइल सं..		मुख्य मोबाइल सं.															
		अन्य मोबाइल सं., यदि कोई है।															
v. ई-मेल आईडी/वेबसाइट का पता:				मुख्य ई-मेल आईडी (डीजीएफटी के साथ पत्र व्यवहार हेतु) -				अन्य ईमेल आई डी, यदि कोई है:									
				वेबसाइट (यदि कोई है):				फैक्स सं. (यदि कोई है, एरिया कोड सहित)									

3. पंजीकरण प्रमाण पत्र सं.

4. फर्म/कम्पनी में साझेदारों/निदेशकों की संख्या अंकित करें

5. प्रत्येक साझेदार/निदेशक का ब्यौरा निम्नलिखित में भरें

[illegible]

भाग ग 4: यदि फर्म, पंजीकृत सोसाइटी/न्यास है**

आयात करने वाले एकल/न्यास संस्थाएं/पंजीकृत एनजीओ, जिनको प्रक्रिया पुस्तक के 2.03 के पैरा 2.03 के संदर्भ में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अलाभकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है और वे स्थाई आईईसी सं. 01000000134 प्रयोग करते हैं।

[illegible]

2. पंजीकरण संख्या

3. सोसाइटी के सचिव/मुख्य कार्यकारी या न्यास के प्रबन्धक न्यासी का विवरण:

[illegible]

भाग ग 5--यदि फर्म, एचयएफ है तो

[illegible]

2. कर्ता का विवरण:

क. नाम जैसा पैन में अंकित है											
ख. घर का पता	फ्लैट/प्लॉट/ब्लॉक सं.										
	गली/क्षेत्र/इलाका										
	राज्य					जिला					
	शहर				पिन कोड						
ग. आधार कार्ड सं., यदि उपलब्ध है।											

भाग घ: घोषणा/वचनबद्धता

1	मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि: क. फर्म जिसके लिए आवेदन किया गया है को निम्नलिखित किसी भी अधिनियमों (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन दण्डित नहीं किया गया है: (i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (iii) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (iv) विदेश विनियम प्रबन्धक अधिनियम, 1999 और (v) विदेश विनियम संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 ख. कम्पनी/फर्म/एचयूएफ/न्यास (जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी/फर्म/एचयूएफ/न्यासी किसी अन्य कम्पनी/फर्म/संस्था जो डीजीएफटी की अपात्र घोषित सूची (डीईएल) में है का निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी नहीं है। ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय(यों)/यूनिट(टों)/डिविजन(नों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है। ड. हमने अपने पंजीकृत/मुख्यालय के लिए किसी अन्य लाईसेंसिंग प्राधिकारी से आयातक निर्यातक कोड संख्या प्राप्त नहीं किया है और न ही आवेदन किया है।
2	मैं/हम समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 उसके तहत बने नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक और आयात निर्यात मद के आईटीसी (एसएच) वर्गीकरण के प्रावधानों के पालन की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।
3	मैं/हम पूर्णतः समझता हूँ/समझते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा परिणाम भुगताने पड़ सकते हैं जो कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हों।
4	मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है।
5	मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ।

घोषणा/वचनबद्धता की स्वीकृति को बॉक्स में अंकित करें और निम्नलिखित ब्यौरा भरें--

स्थान:

दिनांक:

आवेदक का नाम -----
 पदनाम -----
 कार्यालय का पता -----
 दूरभाष/मोबाईल सं. -----
 आवेदक का ई मेल -----
 हस्ताक्षरी आवेदक का पैन* -----

दस्तावेज और आवेदन पत्र को अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

भाग ड.:

1. प्रस्तुत जानकारी को पुनः देखने और अपलोड किए गए दस्तावेज की जाँच के लिए <u>यहाँ</u> क्लिक करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक कालम भर दिए गए हैं और अपेक्षित दस्तावेजों की स्वच्छ प्रतियाँ अपलोड हो गई हैं।
2. शुल्क जमा करने के लिए <u>यहाँ</u> क्लिक करें।
3. आईईसी आवेदन के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को चुने।
4. डिजिटल हस्ताक्षर के लिए <u>यहाँ</u> क्लिक करें और क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। या भरे हुए आवेदन पत्र के प्रिंट के लिए <u>यहाँ</u> क्लिक करें। पूर्णतःविधिवत रूप से हस्ताक्षरित आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर उसे संबंधित क्षेत्राधिकारी प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी के कार्यालय में डाक द्वारा या दस्ती द्वारा जमा करवाएं।
सूचना: आवेदन पत्र सोसाइटी के स्वामी/प्रबन्धक साझेदार/पदनामित साझेदार/निदेशक/सचिव या मुख्य कार्यकारी/प्रबन्धक न्यासी/कर्ता जो भी मामला हो, द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

आयातक-निर्यातक कोड सं. (आईईसी) जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश।

I. किसे आवेदन की आवश्यकता है - सभी जो आयात/निर्यात करना चाहते हैं, के लिए आईईसी का होना अनिवार्य है। तथापि, आयातक/निर्यातक की कुछ श्रेणियों को आईईसी प्राप्त करने से छूट दी गई है। ऐसी श्रेणियों की सूची प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.03 में दी गई है।

छूट प्राप्त श्रेणी के लिए यहां क्लिक करें

II. आवेदन की प्रक्रिया:

कदम 1: विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट <http://dgft.gov.in> पर "ऑनलाइन आईईसी आवेदन" लिंक को क्लिक करें।

कदम 2: **भाग-क** में आवेदक का सभी विवरण भरें तथा प्रस्तुत करें।

कदम 3: पंजीकृत कोड आवेदक द्वारा दी गई ई-मेल/मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। यह आवेदक को आवेदन पत्र में और विवरण भरने में मदद करेगा। पंजीकरण कोड को याद रखें या सुरक्षित स्थान पर लिख कर रखें। सूचनाओं/दस्तावेजों को दुबारा भरने हेतु अपूर्ण टिप्पणी के मामले में इसकी आवश्यकता हो सकती है।

कदम 4: **भाग ख और ग** के संगत कॉलम को भरें।

कदम 5: भाग घ में दी गई घोषणा/वचनबद्धता को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा घोषणा/वचनबद्धता को पढ़ लेने और स्वीकार कर लेने के संकेत के रूप में इसमें नीचे दिए गए बाक्स को अंकित करें। इसके बाद हस्ताक्षरकर्ता आवेदक के ब्यौरे भी भरे जा सकते हैं।

कदम 6: इसके बाद डिजिटल फोटोग्राफ, आवश्यक दस्तावेज (नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार) और आवेदन पत्र अपलोड करें।

कदम 7: भाग ड. में दी गई सूचनाओं का पुनः अवलोकन करें और जांच कर यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट हैं और इसके बाद आवेदन/संशोधन फीस की अदायगी करें।

कदम 8: संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी का चयन करें। उपयुक्त क्षेत्रीय प्राधिकारी के ब्यौरे <http://dgft.gov.in/exim/2000/map.html> पर भी देख सकते हैं।

कदम 9: अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन 'ऑनलाइन' भरना अनिवार्य है। डिजिटल हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र डिजिटल रूप में भर सकते हैं और इसे क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकरण में प्रस्तुत करें।

अन्य

सम्पूर्ण आवेदन पत्र का प्रिन्ट ले लें। तत्पश्चात, विधिवत रूप से हस्ताक्षरित आवेदन पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिशः संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकरण में जमा कराया जाना अनिवार्य है।

कदम 10: प्रपत्र जमा होने पर प्राप्ति की पुष्टि का संदेश/एसएमएस पंजीकृत ई मेल/मोबाईल पर भेजा जाएगा।

कदम 11: दस्तावेजों ब्यौरों की प्रक्रिया के बाद ई-आईसी सं. सृजित होगी और ई-मेल पर भेजी जाएगी। या एक त्रुटि संबंधी पत्र ई-मेल पर भेजा जाएगा।

कदम 12: विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट पर "ऑनलाइन आईसी आवेदन पत्र" सी-लागिन करके आवेदन पत्र को भरकर त्रुटि दूर की जा सकती है और उचित आवेदन शुल्क के साथ नया आवेदन पत्र भरा जाएगा।

टिप्पणी: आवेदक जो आईसी में संशोधन करना चाहते हैं तो कृपया दिशा-निर्देशों के ब्यौरों के पैरा (vi) के अनुदेशों को देखें।

III. नए आईसी अथवा पुराने आईसी में संशोधन के लिए आईसी आवेदन शुल्क फीस 500/- रु. है।

IV. आवेदन शुल्क के भुगतान का तरीका:

* भुगतान के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर (आवेदक के बैंक खाते से ईएफटी) से भुगतान कर सकते हैं या आपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं।

* इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर (ईएफटी) के लिए आवेदक का निम्नलिखित बैंकों में से किसी एक में नेट बैंकिंग खाता होना आवश्यक है:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| i. एचडीएफसी बैंक | ii. आईसीआईसीआई बैंक |
| iii. बैंक ऑफ इंडिया | iv. भारतीय स्टेट बैंक |
| v. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | vi. पंजाब नेशनल बैंक |
| vii. आईडीबीआई | viii. एक्सिस बैंक |
| ix. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | x. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स |

V. आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार अपलोड एवं चिह्नित करें :

क्र.	स्वामित्व	
		* स्वामी का डिजिटल फोटोग्राफ (3x3 सेमी.)
		* स्वामी के पैन कार्ड की प्रतिलिपि
		* स्वामी के पासपोर्ट (प्रथम और अन्तिम पृष्ठ)/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/यूआईडी (आधार कार्ड) की प्रतिलिपि (इनमें से कोई एक)।
		* बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है या किराया/पट्टा करार यदि कार्यालय स्थल

		किराए/पट्टे पर है। * अनुलग्नक-1 के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र/रद्द किया हुआ चेक जिस पर आवेदक का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो।
ख.	साझेदारी फर्म	* प्रबन्ध साझीदार का डिजिटल फोटोग्राफ (3x3 सेमी.) * प्रबन्ध साझीदार के पैन कार्ड की प्रतिलिपि। * प्रबन्ध साझीदार के पासपोर्ट (प्रथम और अन्तिम पृष्ठ)/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/यूआईडी (आधार कार्ड) की प्रतिलिपि (इनमें से कोई एक)। * साझेदारी विलेख की प्रति * बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है या किराया/पट्टा करार यदि कार्यालय स्थल किराए/पट्टे पर है। * अनुलग्नक-1 के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र/रद्द किया हुआ चेक जिस पर प्रबन्ध साझीदार का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो।
ग.	सीमित देयता साझीदारी फर्म सरकारी उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी खण्ड 25 कम्पनी	* पदनामित साझीदार का (3x3 सेमी.) डिजिटल फोटोग्राफ। * एलएलपी फर्म/आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशक के मामले में पदनामित साझीदार के पैन कार्ड की फोटोप्रति। * प्रबन्ध साझीदार/हस्ताक्षरकर्ता निदेशक के पासपोर्ट (प्रथम और अन्तिम पृष्ठ)/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/यूआईडी (आधार कार्ड) की प्रतिलिपि (इनमें से कोई एक)। * कम्पनी/फर्म का पंजीकरण प्रमाण-पत्र। * बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है या किराया/पट्टा करार यदि कार्यालय स्थल किराए/पट्टे पर है। * अनुलग्नक-1 के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र/रद्द किया हुआ चेक जिस पर पदनामित भागीदार/आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कम्पनी के निदेशक का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो। * खण्ड 25 की कम्पनी के मामले में संगम अनुच्छेद का ज्ञापन।
घ.	पंजीकृत सोसायटी न्यास	* हस्ताक्षरी आवेदक/सचिव या मुख्य कार्यपालक का डिजिटल फोटोग्राफ (3x3 सेमी.) । * आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले सचिव या मुख्य कार्यपालक। * आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले सचिव या मुख्य कार्यपालक/प्रबंध न्यासी के पासपोर्ट (प्रथम और अन्तिम पृष्ठ)/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/यूआईडी (आधार कार्ड) की प्रतिलिपि (इनमें से किसी एक)। * बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है या किराया/पट्टा करार यदि कार्यालय स्थल किराए/पट्टे पर है। * न्यास विलेख/संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि। * सोसाइटी/न्यास के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि। * प्रबन्ध साझीदार अनुलग्नक-1 के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र/रद्द किया हुआ चेक जिस पर आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले सचिव या मुख्य कार्यपालक का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो।

ड.	एचयूएफ	* कर्ता का डिजिटल फोटोग्राफ (3x3 सेमी.) * कर्ता के पैन कार्ड की प्रतिलिपि * कर्ता के पासपोर्ट (प्रथम और अन्तिम पृष्ठ)/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस/यूआईडी (आधार कार्ड) की प्रतिलिपि। * बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है या किराया/पट्टा करार यदि कार्यालय स्थल किराए/पट्टे पर है। * अनुलग्नक-1 के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र/रद्द किया हुआ चेक जिस पर आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले सचिव या मुख्य कार्यपालक का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो।
----	--------	---

VI. आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) संख्या में संशोधन (*आईईसी में संशोधन करने से पहले कृपया अन्य आवश्यक/ सहायक दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन कर लें तथा इन दस्तावेजों को किए गए परिवर्तनों के आवश्यक प्रमाण के रूप में अपलोड किया जा सकता है।)

1. संशोधन के लिए, आईईसी संख्या दर्ज करें									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. भाग-क, ख, ग में दिए गए ब्यौरे का संशोधन और अद्यतन करने के लिए यहां क्लिक करें।

3. भाग-घ में दी गई घोषणा पत्र/वचनबद्धता स्वीकार की जा सकती है तथा इसके तहत दिए गए ब्यौरे को भरें। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन पत्र अपलोड करें।

4. भाग ड. में--

(i) दी गई सूचनाओं की समीक्षा करें तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करें।

(ii) आईईसी संख्या में संशोधन हेतु आवेदन फीस 500/-रु. का भुगतान करें।

(iii) आवेदन पत्र जमा करने हेतु क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकरण का चयन करें।

(iv) आवेदन पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर करें तथा क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकरण में आनलाइन प्रस्तुत करें।

या

भरे गए आवेदन पत्र का प्रिन्ट लें। भरे हुए आवेदन पत्र के हस्ताक्षरित प्रिन्टेड फार्म को डाक द्वारा या व्यक्तिशः संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण में जमा करवा दें।

आईईसी जारी करने के लिए बैंक प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(बैंक कार्यालय के पत्र शीर्ष पर जारी होने के लिए)

संदर्भ सं.

सेवा में,

.....

(जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पता)

महोदय/महोदया,

.....(बैंक/शाखा का नाम) प्रमाणित करता है/करते हैं कि मैसर्स
 (खाताधारक का नाम और पता) का
 से हमारे यहाँ बचत जमा खाता/चालू खाता (लागू को चिन्हित करें) सं. है।

आवेदक का पासपोर्ट
 आकार का फोटो
 चिपकाएं

टिप्पणी: चिपकाया गया अनुप्रमाणित फोटो खाताधारक का है।

(जारी करने वाले के हस्ताक्षर)
 (प्रबन्धक से नीचे के बैंक का नहीं)

नाम

पदनाम

बैंक का आईएफएस कोड बैंक

दिनांक:

स्थान:

(बैंक की मुहर)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 27th November, 2014

No. 76(RE-2013)/2009—2014

Subject: Amendment in ANF 2A of Handbook of Procedure Vol. I (Appendices and Aayat Niryat Forms), 2009-2014.

F. No. 01/93/180/20/AM-13/ PC-2(B).—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy (2009-2014), the Director General of Foreign Trade hereby amends the ANF 2A [Application Form for Issue/Modification in Importer Exporter Code Number (IEC)] Handbook of Procedure Vol. I (Appendices and Aayat Niryat Forms), 2009-2014 and further notifies that:

- (i) The existing form ANF 2A is being replaced by another format as attached herewith. The existing form exists in physical format as well as in online format. Application for new Importer-Exporter Code (IEC) w.e.f. 01.01.2015 will have to be filed in online mode only, along with all requisite documents.
- (ii) After receipt of applications complete in all respects, the decision regarding grant or refusal of IEC will be taken and communicated by the concerned Regional Authorities (RA) of DGFT within two working days.
- (iii) The facility of filing online application for IEC will also be available through e-biz portal of DIPP, after its integration with DGFT's system.

2. Effect of Public Notice:

The existing form ANF 2A, is being replaced by another format, online filing of which along with all requisite documents will be mandatory w.e.f. 01.01.2015, and decision regarding grant or refusal of IEC will be conveyed within two working days by the concerned jurisdictional RA. Facility of filing online application for IEC will also be available on the e-biz portal of DIPP, after its integration with DGFT's system.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

ANF 2A**APPLICATION FORM FOR ISSUE/MODIFICATION IN IMPORTER EXPORTER CODE(IEC) NUMBER****Part A**

- Please read the detailed guidelines before filling up this form. Click [here](#) to read the guidelines.
- Click [here](#) for information about requisite documents to be uploaded.
The documents should be uploaded in digital format–GIF, JPEG size not exceeding 5MB.
- Ensure that the requisite documents are legible before uploading.

*Digital
Photograph of
the Applicant
(3x3cm)*

Applicant Details													
i. Name of entity in whose name IEC is required													
ii. Address: (Registered Office Address is required in case of Companies/ Head Office Address is required for all other categories)		Flat/Plot/Block No.:											
		Street/Area/Locality:											
		State:				District:							
		City:				PIN Code:							
iii Landline telephone no., if any (with area code)													
iv Mobile No.		Primary Mobile No.											
		Other Mobile No, if any											
v Email ID / Website Address:		Primary Email ID (for correspondence with DGFT):						Alternate Email ID, if any:					
		Website (if any):						FAX No.(if any, with area code)					
vi Nature of concern / entity (Please tick relevant category):		☐ Proprietorship ☐ Partnership ☐ Limited Liability Partnership ☐ Private limited ☐ Public Limited ☐ Govt. undertaking ☐ Section 25 Company ☐ Registered Society ☐ Trust ☐ HUF											
vii:(a) Preferred Activities : (Please tick the relevant category)		Merchant Exporter										☐	
		Manufacturer Exporter										☐	
		Service Provider										☐	
vii.(b) Others (please specify):													
viii Bank Account Details of the Applicant's entity:													
1. Name of the account holder													
2. Account Number:													
3. Name of the Bank:													
4. Branch address of the Bank:													
5. IFS Code :													
SUBMIT <u>HERE</u> TO PROCEED FURTHER													
Enter Registration Code: (As received on mobile/ email provided as above) and continue:													

Part B : Branch Details																	
i Enter number of Branches/ Divisions/Units/Factories located in India and abroad:																	
ii Address of Branches, Divisions, Units, Factories located in India and abroad	Flat/Plot/Block No.:																
	Street/Area/Locality:																
	State: ▾				District: ▾												
	City:				PIN Code:												
Part C : Please fill in the following details:																	
Part C 1 In case the entity is a Proprietor firm :																	
1.a) Name of Proprietor																	
b) Residential Address	Flat/Plot/Block No.:																
	Street/Area/Locality:																
	State: ▾				District: ▾												
City:				PIN Code:													
c) Aadhaar Card Number, if available:																	
Part C 2: In case the entity is Partnership firm																	
1.PAN details of the entity	Name as in PAN																
	Date of Incorporation (DD/MM/YYYY)																
	PAN																
2. Enter the number of partners in the Partnership Firm : ▾																	
3. Fill in the following details for each partner:																	
a. Name as in PAN																	
b Father's name																	
c. Date of Birth (DD/MM/YYYY)																	
d. Residential Address of the Partner:	Flat/Plot/Block No.:																
	Street/Area/ Locality:																
	State: ▾				District: ▾												
City:				PIN Code:													
e. Mobile No.																	
f. PAN:																	
g. Aadhaar Card Number, if available																	
Part C 3: In case the entity is a Limited Liability Partnership/ Private/ Public/Govt. Undertaking/Section 25 Company: ▾																	
1.PAN details of the firm:	Name as in PAN																
	Date of Incorporation																
	PAN																
2. LLPIN /CIN (whichever is applicable)																	
3. Registration Certification No.																	
4. Enter the number of Partners/Directors in the Firm/Company : ▾																	

5. Fill in the following details for each Partner/Director:																			
a. Name																			
b PAN																			
c. Director Identity Number																			
d. Aadhaar Card Number, if available																			
Part C 4: In case the entity is a Registered Society/Trust**																			
<i>** (Individuals /Charitable institutions/ Registered NGOs importing goods, which have been exempted from Customs duty under Notification issued by the Ministry of Finance for bonafide use by victims affected by natural calamity may refer to the para 2.03 of handbook of procedure and use Permanent IEC No 0100000134)</i>																			
1. PAN details of the Society/Trust:	Name as in PAN																		
	Date of Incorporation																		
	PAN																		
2. Registration Number:																			
3. Details of the Secretary/ Chief Executive of the Society; or Managing Trustee of the Trust																			
a. Name as in PAN																			
b. Residential Address	Flat/Plot/Block No.:																		
	Street/Area/ Locality:																		
	State:																		
	City:																		
c. Aadhar Card No. if available																			
Part C 5: In case the entity is a HUF																			
1. PAN details of the Entity:	Name as in PAN																		
	Date of Incorporation																		
	PAN																		
2. Details of the Karta																			
a. Name as in PAN																			
b. Residential Address	Flat/Plot/Block No.:																		
	Street/Area/ Locality:																		
	State:																		
	City:																		
3. Aadhar Card Details, if available																			

Part D: DECLARATION/UNDERTAKING

1	I/We hereby certify that : A. the entity for whom the application has been made have not been penalized under any of the following Acts (as amended from time to time): (i) The Customs Act, 1962, (ii) The Central Excise Act 1944, (iii) Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, and (iv) The Foreign Exchange Management Act, 1999; (v) The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 B. none of the Directors/Partners/ Proprietor/Karta/Trustees of the company/firm /HUF/Trust, (as the case may be), is/are a Director(s)/Partner(s)/ Proprietor/Karta/Trustee in any other Company/firm/entity which is on the Denied Entity List (DEL) of DGFT;
---	---

	C. neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any of its Branch Office(s)/ Unit(s)/ Division(s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of the provisions of the Policy; D. we have not obtained nor applied for issuance of an Importer Exporter Code Number in the name of our Registered / Head Office to any other Licensing Authority
2	I/We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended from time to time, the Rules and Orders framed there under, the Foreign Trade Policy, the Handbook of Procedures and the ITC (HS) Classification of Export & Import Items.
3.	I/We fully understand that if any information furnished in the application is found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
4.	I/We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or withheld therefrom.
5	I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.06 of the Foreign Trade Policy.

☐ Tick the box as acceptance of declaration/ undertaking and fill in the details below.

Place:

Date:

Name of the applicant*:

Designation:

Official Address:

Telephone/Mobile No:

Email of the applicant:

PAN of the signatory applicant*:

CLICK [HERE](#) TO UPLOAD DOCUMENTS AND THE APPLICATION FORM

Part E:

1. Click HERE to review the information submitted and check the documents uploaded. Ensure that all requisite columns are filled in and legible copies of requisite documents have been uploaded.	
2. Click HERE to pay the fees.	
3. Select the Jurisdictional RA to submit the IEC application : 	
4. Click HERE to digitally sign* and submit the application form online to Jurisdictional RA.	
OR	
Click HERE to print the filled up application form.	
The print out of the application form duly signed* may then be submitted either, through post or handed over physically in the office of the concerned Jurisdictional RA's office.	
Note*	Application has to be signed by Proprietor/ Managing Partner/ Designated Partner /Director/ Secretary or Chief Executive of the Society/ Managing Trustee / Karta as the case may be.

DETAILED GUIDELINES FOR ISSUE / MODIFICATION OF IMPORT EXPORT CODE NUMBER (IEC)

I Who needs to apply: All who intend to import/export, are required to have an IEC. However certain categories of Importer/ Exporter are exempted from those obtaining IEC. The list of such categories of such categories is at paragraph 2.03 of Handbook of Procedure.

Click [Here](#) to see the exempted categories

II Application Process:

- Step 1 : Click on the link “Online IEC application” on DGFT website <http://dgft.gov.in>.
- Step 2 : Fill up Applicant Details in **Part A** and submit.
- Step 3 : Registration Code will be sent at the email and / mobile number provided by the applicant. It will enable the applicant to fill further details in the Application form. Remember or write down the Registration Code at any safe place. This may be required in case of deficiency note requiring refilling of information/documents.
- Step 4 : Fill in relevant columns in **Part B and C**.
- Step 5 : The Declaration/Undertaking as in **Part D** may be read carefully and the box underneath it may be ticked as token of having read and accepted the Declaration/ Undertaking. The details of the signatory applicant may also be filled thereafter.
- Step 6 : The digital photograph, requisite documents (as detailed below) and the application form may then be uploaded.
- Step 7 : In **Part E**, review the information submitted and check to ensure that documents uploaded are legible and then pay the application/modification fee.
- Step 8 : Select the concerned Jurisdictional Regional Authority. Details of appropriate Regional Authority are also available at <http://dgft.gov.in/exim/2000/map.html>.
- Step 9 : **Filing application along with the requisite documents ‘online’ is mandatory.** Those with digital signatures can sign the application form digitally and submit it to Jurisdictional RA.

OTHERS

Take a print out of the complete form. The duly signed application form is then required to be submitted through post or handed over in the office of the concerned Jurisdictional Regional Authority.

- Step 10 : On submission of the form, a confirmatory message/sms of receipt would be sent on the registered email/mobile number.
- Step 11 : After processing of documents/details an e-IEC will be generated and sent through e-mail.
Or a deficiency letter would be sent on e-mail.
- Step:12 : Deficiency can be removed by re-login onto the “Online IEC application” on DGFT website and filling the form afresh with appropriate application fee.

NOTE Applicants seeking modification in IEC, please check instructions in Para (VI) of the detailed guidelines.

III. IEC application fee for new IEC OR amendment in existing IEC is Rs. 500/-

IV Mode of Payment of application fee:

- For payment of fee the applicant can use the Electronic Fund Transfer (EFT from the bank account of the applicant) mode or pay through his credit /debit card.
- For Electronic Fund Transfer (EFT), the Applicant should have a Net Banking Account with one of the following designated banks:

i. HDFC Bank	ii. ICICI Bank
iii. Bank of India	iv. State Bank of India
v. Central Bank of India	vi. Punjab National Bank
vii. IDBI	viii. Axis Bank
ix. Union Bank of India	x. Oriental Bank of Commerce

V: Tick and upload the requisite documents as detailed below:		
A	Proprietor-ship	• Digital Photograph (3x3cms) of the Proprietor. • Copy of PAN card of the Proprietor. • Copy of Passport (first & last page)/Voter's I-Card/Driving Licence/UID (Aadhar card) (any one of these). • Sale deed in case business premise is self-owned or Rental/Lease Agreement, in case office is rented/ leased. • Bank Certificate as per Annexure-I/Cancelled Cheque bearing pre-printed name of applicant and A/C No.
B	Partnership firm	• Digital Photograph (3x3cms) of the Managing Partner. • Copy of PAN card of Managing Partner. • Copy of Passport (first & last page)/Voter's I-Card /UID (Aadhar Card) /Driving Licence (any one of these) of the Managing Partner. • Copy of Partnership Deed. • Sale deed in case business premises is self-owned or Rental/Lease Agreement, in case office space is rented/ leased. • Bank Certificate as per Annexure-I /Cancelled Cheque bearing pre-printed name of Managing Partner & A/C No.
C	Limited Liability Partnership Firm	• Digital Photograph (3x3cms) of the Designated Partner. • Copy of PAN card of Designated Partner in case of LLP firm/Director of the Company signing the application.
	Government Undertaking	• Copy of Passport (first & last page)/Voter's I-Card /UID (Aadhar Card)/Driving Licence (any one of these) of the Managing Partner/Director signing the application.
	Public Limited Company	• Registration certificate of the firm/Company
	Private Limited Company	• Sale deed in case business premises is self-owned or Rental / Lease Agreement, in case office space is rented/ leased.
	Section 25 Company	• Bank Certificate as per Annexure-I /Cancelled Cheque bearing pre-printed name of Designated Partner/ Director of the company signing the application & A/C No. • Memorandum of Articles of Association in case of Section 25 Company.

D	Registered Society	- Digital Photograph (3x3cms) of the signatory applicant/Secretary or Chief Executive. - Copy of PAN card of the Secretary or Chief Executive signing the application. - Copy of Passport (first & last page)/Voter's I-Card /UID (Aadhar Card)/Driving Licence (any one of these) of the Secretary or Chief Executive/ Managing Trustee signing the application. - Sale deed in case business premises is self-owned or Rental /Lease Agreement, in case office space is rented/ leased. - Copy of the Trust Deed/ Memorandum of Association - Registration Certificate of the Society/Trust - Bank Certificate as per Annexure-I /Cancelled Cheque bearing pre-printed name of the Secretary or Chief Executive signing the application and A/C No.
	Trust	
E	HUF	- Digital Photograph (3x3cms) of the Karta. - Copy of PAN card of the Karta. - Copy of Passport (first & last page)/Voter's I-Card/ Driving Licence/UID (Aadhar card) (any one of these) of the Karta. - Sale deed in case business premise is self-owned or Rental/Lease Agreement, in case office is rented/ leased. - Bank Certificate as per Annexure-I/ Cancelled Cheque bearing pre-printed name of applicant and A/C No.

VI Modification in Import Export Code (IEC) number*

(*Before seeking modification in IEC, kindly carry out necessary modifications in other requisite/supporting documents, and these documents may be uploaded as requisite proof of changes made.)

1. For Modification, enter the IEC Number :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Click [here](#), to modify and update the existing details as in Part A,B and C

3. Declaration /Undertaking as in Part D may be accepted and details there under may be filled. Thereafter, the requisite documents and the application form may be uploaded.

4. In Part E,

(i) Review the information submitted and check the documents uploaded.

(ii) Pay application fee of Rs 500/- for modification in the IEC number.

(iii) Select the Jurisdictional RA to submit the form.

(iv) Digitally sign and submit the application form online to Jurisdictional RA

OR

Print the filled up application form. The duly signed printed version of the filled up application form may then be submitted either, through post or handed over physically in the office of the concerned Jurisdictional RA's office.

FORMAT OF BANK CERTIFICATE FOR ISSUANCE OF IEC

(To be issued on the official letter head of the Bank)

Ref No.

To

.....
.....
.....

(Name and address of the issuing authority)

Sir/ Madam

.....(Name of the bank/branch) certify that
M/s..... (Name and Address of the account holder) is/ are maintaining a Savings
Bank Account / Current Account (tick whichever is applicable) No. with us, since

Affix
Passport
Size
Photograph of
the applicant

Note: The photograph as affixed and attested is of the account holder.

(Signature of the issuing authority)
(Not below the rank of Manager)

Name
Designation
IFS Code of the issuing bank:

Date:

Place:

(Banks'
Stamp)
